Press Release: 22/12/2025

Labour Unions and Rights Groups Meet Delhi Labour Minister Kapil Mishra, Highlight Systemic Failures in Welfare Schemes and Demand Urgent Reforms

New Delhi: A delegation representing construction workers, domestic workers, and gig workers today met with Shri Kapil Mishra, Minister of Labour, Government of NCT of Delhi, at the Delhi Secretariat, ITO. The meeting focused on the urgent issues faced by vulnerable workers under the Building and Other Construction Workers (BOCW) Act, the challenges exacerbated by the GRAP-IV construction ban, and the non-functional and corrupt practices surrounding the Delhi BOCW Welfare Board's online portal.

The delegation included **Shri Sunil Kumar Aledia** (Executive Director, Centre for Holistic Development & Network for Construction Worker Rights), **Advocate Kamlesh Kumar Mishra**, **Shri Samved** (Gig Worker India), **Shri Pranavana Prabhakar** (NCWR), and **Shri Vikas Sharma** (Sampoorn Delhi-Bhawan Nirman Mazdoor Union Association), representing a network of 20 construction worker unions in Delhi.

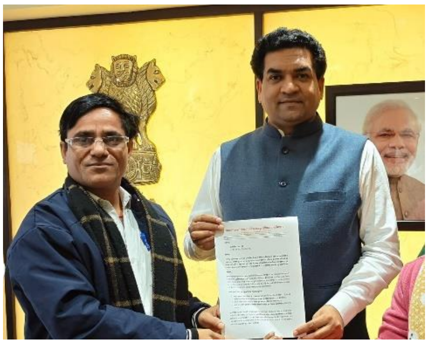

The delegation submitted a detailed memorandum outlining critical issues faced by workers (**Construction Worker, Domestic Worker & Gig Worker**), especially in light of the GRAP-IV construction ban, non-functional online systems, and alleged corrupt practices within the Delhi BOCW Welfare Board (DBOCWWB).

Key Issues Raised During the Meeting:

1. **GRAP-IV and Subsistence Allowance:** Workers highlighted the failure of the system to automatically disburse the subsistence allowance of ₹10,000 during construction bans as mandated by the Hon'ble Supreme Court. The current requirement for workers to physically apply and follow up places an undue burden and delays crucial financial support.
2. **Dysfunctional Welfare Website:** The official portal https://dbocwwb,delhi.gov.in/ was cited as chronically non-functional, suffering from server issues, delayed OTPs, and poor user interface. This digital failure effectively blocks thousands of workers from registration, renewal, and accessing benefits.
3. **Harassment and Corruption:** The delegation submitted evidence and complaints alleging corrupt practices by some Board officials, including demands for bribes for processing claims, threatening behavior, and intentional delays. Specific complaints dated 02/12/2025 and 10/12/2025 were presented to the Minister.
4. **Illegal Re-verification and Rejection of Claims:** Despite valid registration, workers are forced to undergo repeated verification. Applications are often rejected for minor discrepancies (like spelling errors in names), in direct contravention of Delhi High Court orders.
5. **Lack of Awareness and Accessibility:** There is a severe lack of awareness campaigns and on-ground camps for worker registration and renewal, as previously directed by the courts. Workers residing in Delhi but working in NCR regions are unfairly denied benefits.
6. **Gig & Domestic Workers' Plight:** The delegation highlighted the severe health and livelihood impact of air pollution on gig workers (delivery, cab drivers, etc.) who work outdoors without protective gear, health insurance, or pollution risk allowance. Key demands included:

1. Pollution risk allowance during high AQI days.
2. Free N95 masks and regular health check-ups.
3. Work suspension policies during GRAP/severe smog without penalizing workers.
4. Legal recognition as "workers" under existing labor laws.

Demands Presented to the Minister:

The delegation put forth a charter of demands for immediate intervention:

- **Automate GRAP Relief:** Ensure automatic and timely disbursal of subsistence allowance to all registered and newly registered workers without the need for separate applications.
- **Overhaul the Website:** Immediately rectify the technical glitches in the DBOCWWB portal and consider migrating to stable NIC servers. Implement a transparent application tracking system.
- **Curb Corruption:** Initiate a high-level, time-bound inquiry into the alleged corruption and harassment by officials, and take stringent disciplinary action.
- **Stop Harassment:** End the practice of calling workers for physical verification and rejecting claims over minor errors, adhering to existing court orders.
- **Launch Awareness Drives:** Conduct regular registration/renewal camps and install awareness banners at major labour chowks across Delhi.
- **Extend NCR Coverage:** Allow Delhi residents working at NCR sites to register and avail benefits from the Delhi Board.
- **Formulate a policy for Gig** and domestic workers, including pollution risk allowance and health safeguards.

Statement from the Delegation:

Shri Sunil Kumar Aledia stated, "Construction and gig workers are the backbone of Delhi's growth, yet they are left to suffocate—both by toxic air and a toxic, unresponsive welfare system. The GRAP-IV ban takes away their livelihood, and a broken, corrupt board administration snatches away their rightful compensation. We have appealed to the Minister for urgent, humane, and systemic intervention."

Advocate Kamlesh Kumar Mishra added, "The legal framework for worker protection is being rendered meaningless by administrative apathy and corruption.

The non-compliance with Supreme Court and High Court directions is a serious matter. We expect the Labour Department to enforce the rule of law for its workers."

The Minister assured the delegation that he would look into the grievances personally and directed his officials to examine the specific complaints and systemic issues raised. The delegation has sought a time-bound action plan and has pledged to continue its advocacy until concrete reforms are implemented.

Minister's Response:

The Hon'ble Minister gave a patient hearing to the delegation and assured that the issues raised would be examined seriously for prompt and concrete action. He acknowledged the gravity of the concerns, particularly regarding the website functionality and the distribution of GRAP-related compensation also issue of the Gig Workers.

About Network for Construction Worker Rights (NCWR) under Centre for Holistic Development (CHD):

NCWR is a collective advocating for the rights, welfare, and social security of construction and other informal sector workers in Delhi, working through legal aid, policy advocacy, and grassroots mobilization.

About the Delegation:

The meeting was convened by the **Network for Construction Worker Rights (NCWR)**, a collective under the **Centre for Holistic Development (CHD)**, in collaboration with **Gig Worker India** and the **Sampoorn Delhi-Bhawan Nirman Mazdoor Union Association**, representing a broad coalition of construction, gig, and domestic workers in Delhi.

Enclosed: Memorandum

CENTRE FOR HOLISTIC DEVELOPMENT (CHD)

Office: 1D, 1st Floor, Shahpur Jat New Delhi-110049
Society Registration No. S/00280-NE/2011
Website: www.chdindia.org.in Email: centreforholisticdevelopment@gmail.com , info@chdindia.org.in
Contact: +91 11 41084099 +91 9811327037

Ref:BOCW/CHD2025 Date 22/12/2025

Mr. Kapil Mishra Ji,
Minister of Labour,
Government of NCT of Delhi,

Respected Mishra Ji,

SUMMARY OF ISSUES FACED BY CONSTRUCTION WORKERS

Prepared by Centre for Holistic Development (CHD), New Delhi

Various issues are faced by construction workers in accessing the schemes offered under the BOCW Act and Delhi BOCW Rules:

Verification, awareness, documents, NCR, website, process, going there in person

1. **Verification process**

2. Currently, construction workers have to verify themselves as genuine construction workers at the time of registration, renewal, and while accessing schemes.

3. As per Section 12 of the BOCW Act and Rule 266 of the Delhi BOCW Rules, a construction worker must meet the requirements of being between the ages of 18 and 60 years of age and must have worked for at least 90 days in a year. **Once these requirements are met, the construction worker becomes eligible for membership in the Fund**.

4. However, despite having valid registrations, construction workers are forced to verify themselves again with the Board at the time of application for benefits. It is respectfully submitted that this process is contrary to the BOCW Act as there is no provision to re-verify workers once their registration is complete; they are automatically eligible for schemes under the Fund if their registration is valid.

5. Majority of construction workers are engaged in daily wage work, with countless contractors in one year. Many of these contractors hire workers only for a few days of work and accordingly do not provide any of their personal information (mobile number, address) to the workers.

6. **Demands**: It is respectfully submitted that the onus of verification should not be on the construction workers, who have little bargaining power vis-à-vis their contractors. Verification should be done only at the time of registration and renewal. No further verification should take place once their registrations are validly renewed by the Board.

7. <u>Obstacles posed by Board officials</u>

8. Construction workers largely come from non-literate backgrounds and as such, depend on Board officials to facilitate the process of granting benefits. Regrettably, however, the officials of the Board pose several difficulties for construction workers.

9. First, workers have no clarity on the status of their application. There is no time period within which the application must be processed by the Board. Most workers' applications are left on 'Query/Pending' status on the website. When they call the Labour Office to seek clarifications on when their applications will be processed, no assistance is provided.

10. Second, Board officials continue to reject applications on the basis of minor discrepancies in workers' details, such as spelling errors in names or different addresses in different documents. It is respectfully submitted that the same is contrary to the **order of the Hon'ble Delhi High Court dated 18.11.2020** in ***Sunil Kumar Aledia v. GNCTD W.P.(C) 2991/2020*** where it directed **that applications with minor discrepancies in personal details should not be rejected at the threshold level**.

11. Third, workers are still called to the Board office for physical verification during the process of sanctioning claims. This is in contravention to the Order no. F.17(1083)/DBOCWWB/2018/127-130 of the Delhi BOCW Welfare Board dated 18.01.2022 where it was stated that *"in no case, beneficiaries shall be called to the Office for physical verification."*

12. Fourth, construction workers who live in Delhi but work in NCR region (Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan) are denied registration/renewal when they put their worksite outside Delhi. The same prevents workers who reside in Delhi from accessing their

benefits solely due to administrative reasons. These workers are also continuously affected by the ban on construction work and should be allowed to access the benefits under the BOCW Act.

13. Fifth, the current round of subsistence allowance due to construction ban is given only to workers whose registration is currently valid. Many construction workers would not have been able to renew their registration due to a number of reasons including administrative obstacles and lack of awareness. It is respectfully submitted that such construction workers must also be allowed to receive subsistence allowance of Rs. 10,000/- upon renewing their old registration, and also to new construction workers who may register themselves with the Board.

14. Sixth, construction workers are required to separately apply for subsistence allowance. It was held by the Hon'ble Supreme Court in its order dated 28.02.2025 in ***MC Mehta v. Union of India W.P.(C) 13029/1985*** that *"whenever construction activities are required to be closed due to implementation of the GRAP measures, compensation shall be paid to the affected workers"*. The burden is currently on construction workers to visit the Board office and make separate applications for subsistence allowance, hindering the quick and effective disbursal of money and frustrating the objective of disbursing subsistence allowance. It is respectfully submitted that the subsistence allowance must be automatically disbursed to the bank accounts of the relevant construction workers without any further process.

15. **Demands**:

i. The Board must institute a clear Standard Operating Procedure (SOP) on the timeline for the sanction of claims.
ii. The Board must institute an operational helpline that workers can call to be updated on the status of their applications.
iii. No applications should be rejected on the basis of minor discrepancies in personal details of workers.
iv. The Board must refrain from physically calling workers for verification procedure.
v. The Board must allow workers who live in Delhi to put the details of construction sites within the larger NCR region as well.
vi. Disburse subsistence allowance due to construction ban to all new registered workers and old registered workers who subsequently renew their registration.
vii. Subsistence allowance must be disbursed automatically to validly registered construction workers without making them visit Board office or file separate applications for the same.

16. Issues with DBOCWWB website

17. The current website faces numerous server-related issues and is frequently non-operational. **This makes it extremely difficult for workers to apply for registration, renewal, and benefits, especially since the entire system of applications has been onboarded to the online portal.**

18. **Demands**: The Board should take immediate steps to resolve all server-related issues and consider shifting their website to NIC servers that are currently used by all other departments of the Govt. of NCT of Delhi.

19. Awareness of BOCW benefits

20. A large number of construction workers continue to be unaware of the Delhi BOCW Board and the benefits offered by registration and renewal.

21. It has been held by the Hon'ble Delhi High Court in ***PUDR v. Union of India W.P.(C) 524/2010*** that the **Board should initiate awareness programs for facilitating registration and grant of benefits. It was also held that camps for the same should be held every three months.**

22. It is respectfully submitted that the Board should comply with this judgement and reach out to large number of construction workers who are not currently included in the scheme.

23. **Demands**:

i. The Board should put up banners and notices at all labour chowks around Delhi informing workers of their rights and benefits under the BOCW Act. This can be carried out district-wise with each District Office of the Board identifying the relevant labour chowks in their area and putting up signage there.

ii. Each district of the Board should also immediately start camps to register and renew construction workers in a streamlined manner. This would help construction workers access the subsistence allowance and mitigate the loss of wages due to construction ban.

Construction workers are the backbone of urban and infrastructure development. Penalizing them for environmental emergencies—without livelihood protection—amounts to a grave violation of their constitutional right to life, dignity, and social security.

We sincerely urge your good offices to take immediate, coordinated, and humane action in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court and in the larger public interest.

We look forward to your prompt response and concrete action.

Yours sincerely,

For **Network for Construction Worker Rights (NCWR)**
Under **Centre for Holistic Development (CHD)**

Sunil Kumar Aledia
Executive Director
Phone : +91 9811327037
253, First Floor, Ch. Ishwar Singh Complex, Shahpur Jat New Delhi-49
Email: centreforholisticdevelopment@gmail.com info@chdindia.org.in

Gig Worker India

Office: Ch. Ishwar Singh Complex, 253, First Floor, Shahpur Jat New Delhi-110049
Society Registration No. S/00280-NE/2011
Website: www.gigworker.org.in Email: gigworkerindia@gmail.com , info@gigworkerindia.org.in
Contact: +91 11 41084099 +91 98111 95526

Ref: GigWorker/GWI-2025 Date 22/12/2025

श्री कपिल मिश्रा जी,

माननीय श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार,

गिग वर्कर्स / ऐप आधारित श्रमिक और वायु प्रदूषण (Air Pollution) का मुद्दा

आज भारत में लाखों **गिग वर्कर्स एवं ऐप आधारित श्रमिक** (जैसे—डिलीवरी बॉय, कैब/ऑटो ड्राइवर, ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी, बाइक टैक्सी, कूरियर आदि) प्रतिदिन खुले वातावरण में लंबे समय तक कार्य करने को मजबूर हैं। बढ़ते **वायु प्रदूषण (Air Pollution)** के कारण इन श्रमिकों के स्वास्थ्य और आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

प्रमुख समस्याएँ

1. **स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव**
   - सांस लेने में दिक्कत
   - आंखों में जलन
   - खांसी, दमा (अस्थमा), फेफड़ों की बीमारी
   - सिरदर्द, थकान और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता
2. **कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं**
   - प्रदूषण के कारण बीमार पड़ने पर **कोई बीमा या मुआवजा नहीं**
   - काम न करने पर **आय पूरी तरह बंद** हो जाती है
3. **प्रदूषण के दिनों में भी काम करने का दबाव**
   - GRAP, स्मॉग या खराब AQI के बावजूद ऐप कंपनियाँ कार्य बंद नहीं करतीं
   - काम न करने पर **ID ब्लॉक / इंसेंटिव कटौती** की जाती है
4. **सुरक्षा उपकरणों की कमी**
   - N95 मास्क, एयर फिल्टर हेलमेट, स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं
   - कंपनियाँ प्रदूषण को "जोखिम भत्ता" (Risk Allowance) नहीं मानतीं

प्रमुख माँगें

1. **खराब AQI वाले दिनों में विशेष प्रदूषण भत्ता**
2. **मुफ्त N95 मास्क और स्वास्थ्य सुरक्षा किट**
3. **स्वास्थ्य बीमा और नियमित मेडिकल जांच**
4. **GRAP/रेड अलर्ट के दौरान काम वैकल्पिक किया जाए**
5. **प्रदूषण से प्रभावित श्रमिकों को आर्थिक सहायता**
6. **गिग वर्कर्स को श्रमिक का कानूनी दर्जा**
7. **ऐप कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए**

निष्कर्ष

गिग वर्कर्स देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन प्रदूषण के समय इन्हें सबसे अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। **स्वच्छ हवा में काम करना हर श्रमिक का मौलिक अधिकार है।** सरकार और ऐप कंपनियों को मिलकर गिग वर्कर्स की **स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा** सुनिश्चित करनी चाहिए।

सादर धन्यवाद सहित।

भवदीया,
राष्ट्रीय संयोजक, *गिग वर्कर इंडिया,*

गिग वर्कर इंडिया

गिग वर्करों की वर्तमान स्थिति और भविष्य

सहयोगी संस्था:

Centre for Holistic Development (CHD)
(दिल्ली आधारित एक प्रतिष्ठित संस्था, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में कार्यरत है।)

गोष्ठी का उद्देश्य:

वर्तमान समय में **एप्प आधारित कंपनियाँ** जैसे – **अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, जेप्टो, अर्बन कंपनी, ब्लिंकीट, ओला, उबर, रेपिडो** आदि – गिग वर्करों को **"पार्टनर"** कहकर संबोधित करती हैं लेकिन उन्हें **मुनाफे में कोई हिस्सा नहीं देती।** इन कंपनियों के पास कोई **नियमबद्ध पारदर्शी नीति** नहीं है और न ही सरकार का उचित नियंत्रण। गिग वर्कर लगातार **शोषण, असुरक्षा और अस्थिरता** का सामना कर रहे हैं।

हमारी माँगें:

- **"पार्टनर हैं तो बराबर का मुनाफा दो, नहीं तो वर्कर की मान्यता दो!"**
- गिग वर्करों के लिए **सामाजिक सुरक्षा और क़ानूनी संरक्षण।**
- यूनियन बनाने का अधिकार।
- आईडी ब्लॉक करने से पहले **15 दिन का नोटिस** और **शिकायत निवारण सेल।**
- **ILO की गाइडलाइंस** के अनुसार भारत के श्रम कानूनों में गिग वर्करों को शामिल किया जाए।
- कार्यस्थल पर **पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था और चिकित्सा सहायता।**
- सरकारी श्रमिक योजनाओं में गिग वर्करों को **सम्मिलित किया जाए।**

गिग वर्कर इंडिया

प्रधान कार्यालय: 253, प्रथम तल, शाहपुर जाट, नई दिल्ली - 110049

(ईश्वर सिंह कॉम्प्लेक्स, गोविंदम स्वीट्स के सामने)

www.gigworker.org.in

gigworkerindia@gmail.com | info@gigworker.org.in

संपर्क: **+91-98113 27037 | +91 11 4108 4099**

सम्पूर्ण दिल्ली भवन निर्माण मजदूर यूनियन ऐसोसिएशन

311 सेकंड फ्लोर बाला जी हाउस 454/3 नानी वाला बाग आजाद पुर दिल्ली 110033
ई - मेल: uandupjbnua@gmail.com संपर्क सूत्र 8527347201, 93107 04500

पत्र संख्या:04 दिनांक:22/12/2025

सेवा में,

श्री कपिल मिश्रा जी,
माननीय श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार,

विषय:

दिनांक 04 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों पर अब तक कार्यवाही न होने, वायु प्रदूषण (GRAP-IV) के कारण निर्माण कार्य पर प्रतिबंध के उपरांत श्रमिकों को बेरोज़गारी भत्ता न दिए जाने तथा बोर्ड के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न के मामलों पर कार्यवाही न होने के संबंध में — तात्कालिक हस्तक्षेप हेतु प्रतिनिधित्व।

महोदय,

सम्पूर्ण दिल्ली भवन निर्माण मजदूर यूनियन ऐसोसिएशन आपके संज्ञान में यह लाना आवश्यक समझती है कि दिनांक **04 दिसंबर 2025** को आपके साथ एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें निर्माण श्रमिकों के हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। अत्यंत खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर आज तक कोई ठोस, स्पष्ट एवं संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे निर्माण श्रमिकों में गहरा असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

उक्त बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नलिखित थे—

1. वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति में **GRAP-IV** लागू होने के कारण निर्माण कार्य पर प्रतिबंध की अवधि में प्रभावित श्रमिकों को **बेरोज़गारी भत्ता/आर्थिक सहायता** प्रदान की जाएगी।
2. बोर्ड में लंबित श्रमिक क्लेमों का **त्वरित एवं समयबद्ध निपटारा** किया जाएगा।
3. बोर्ड स्टाफ द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में **कड़ी एवं निष्पक्ष कार्यवाही** सुनिश्चित की जाएगी।

दुर्भाग्यवश, उपर्युक्त किसी भी निर्णय पर अभी तक प्रभावी अमल नहीं हुआ है। विशेष रूप से यह अत्यंत गंभीर विषय है कि हमारी एसोसिएशन द्वारा **उत्तरी जिला के क्लेम प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार** के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में **नामजद शिकायत साक्ष्यों सहित** प्रस्तुत की गई है, इसके बावजूद अब तक कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है। इससे यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि संबंधित अधिकारी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 04 दिसंबर 2025 की बैठक के **आधिकारिक मिनट्स (कार्यवृत्त)** भी आज तक एसोसिएशन को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जो प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि—

- **हम राष्ट्रीय मजदूर संगठन** के अध्यक्ष श्री मोहम्मद मिनहाज द्वारा दिनांक **02 दिसंबर 2025** को रिश्वत मांगने एवं कार्य न करने के संबंध में नई दिल्ली जिला के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लिखित शिकायत (साक्ष्यों सहित) प्रदान की गई थी।
- **दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर वेलफेयर एंड संरक्षक संगठन** के उपाध्यक्ष श्री जय प्रकाश द्वारा दिनांक **10 दिसंबर 2025** को उत्तरी-पश्चिमी जिला के I.T.L.C. सेल द्वारा श्रमिक प्रतिनिधि से फोन पर धमकाने एवं अभद्र व्यवहार के संबंध में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

उक्त दोनों शिकायतों की प्रतियां इस प्रतिनिधित्व के साथ संलग्न हैं, किंतु इन पर भी अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः हमारी एसोसिएशन की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं—

1. GRAP-IV के कारण निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित सभी **पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बेरोज़गारी भत्ता/आर्थिक सहायता तत्काल जारी** की जाए तथा इसकी **स्पष्ट समय-सीमा लिखित रूप में** सूचित की जाए।
2. बोर्ड में लंबित सभी श्रमिक क्लेमों का **निर्धारित टाइम-लाइन के भीतर निपटारा** सुनिश्चित किया जाए।
3. क्लेम प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार सहित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, धमकी एवं उत्पीड़न में संलिप्त पाए जाने वाले सभी बोर्ड कर्मचारियों के विरुद्ध **विभागीय जांच, निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही** तत्काल प्रारंभ की जाए।
4. दिनांक 04 दिसंबर 2025 की बैठक के **आधिकारिक मिनट्स/कार्यवृत्त** एसोसिएशन को तत्काल उपलब्ध कराए जाएँ।
5. शिकायत निवारण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु **जिम्मेदार अधिकारियों की सूची एवं उनके संपर्क विवरण** साझा किए जाएँ।

यदि उपर्युक्त मांगों पर **उचित एवं ठोस कार्यवाही निर्धारित अवधि के भीतर नहीं की जाती है**, तो विवश होकर हमारी एसोसिएशन **लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन/धरना** आयोजित करने पर विचार करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग/प्रशासन की होगी।

हमें आशा है कि आप इस प्रतिनिधित्व की गंभीरता को समझते हुए श्रमिकों के हित में शीघ्र एवं न्यायोचित निर्णय लेंगे।

तारकेश्वर सिंह
अध्यक्ष

(9310704500)

विकास शर्मा
महासचिव

(8527347201)

संलग्नक:

1. शिकायत पत्र – हम राष्ट्रीय मजदूर संगठन (दिनांक 02.12.2025)
2. शिकायत पत्र – दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर वेलफेयर एंड संरक्षक संगठन (दिनांक 10.12.2025)
3. हस्ताक्षरकर्ता यूनियन प्रतिनिधियों की सूची (Annexure-A)

क्रम सं.	नाम	यूनियन / संगठन	पद
1	अरविंद वर्मा	दिल्ली भवन निर्माण मजदूर जन कल्याण संगठन	अध्यक्ष
2	मोहम्मद मिनहाज	हम राष्ट्रीय मजदूर संगठन	अध्यक्ष
3	सुनीता	समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर यूनियन, दिल्ली	अध्यक्ष
4	मीरा	DRBWANSKS	अध्यक्ष
5	ठाकुर बी. आर. सिंह	कर्मठ निर्माण मजदूर यूनियन	सदस्य
6	कयूम खान	निर्माण श्रमिक कल्याण संघर्ष संगठन	उपाध्यक्ष
7	मुनील पासवान	DBNMS दिल्ली भवन निर्माण मजदूर संगठन	कोषाध्यक्ष
8	मोहम्मद नदीम	दिल्ली स्टेट निर्माण वर्कर्स यूनियन	महासचिव
9	आबिद	दिल्ली स्टेट निर्माण वर्कर्स यूनियन	सचिव
10	श्याम सुंदर	भारतीय मजदूर निर्माण श्रमिक संघ	अध्यक्ष
11	अनीता	दिल्ली राज्य भवन सन्न निर्माण बहुजन वर्कर्स यूनियन	महासचिव
12	संदीप सिरोहा	दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर जन संगठन	महासचिव
13	जय प्रकाश	दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर वेलफेयर एवं संरक्षक संगठन	उपाध्यक्ष
14	श्वेता सिंह	दिल्ली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन	उपाध्यक्ष
15	हर प्रसाद	DAAMU	सचिव
16	राजीव कुमार पंडित	BWU	सचिव
17	प्रमोद कुमार	BWU	सदस्य
18	उमेश कुमार	दिल्ली भवन निर्माण मजदूर जन कल्याण संगठन	उपाध्यक्ष
19	सुरेश कुमार सिंह	दिल्ली स्टेट भवन निर्माण कामगार मददगार यूनियन	अध्यक्ष
20	शशि कुमार	दिल्ली स्टेट भवन निर्माण कामगार मददगार यूनियन	उपाध्यक्ष

Annexure:- A

HUM RASHTRIYA MAZDOOR SANGATHAN

Reg. No- (01/DY.RTU/CD/2023)
011 41677235, 8010350776

Ref. No.-

Date 02/12/2025

सेवा में,

श्रीमान तारकेश्वर सिंह जी अध्यक्ष एवं श्रीमान विकास शर्मा जी

महासचिव सम्पूर्ण दिल्ली भवन निर्माण मजदूर यूनियन एसोसिएशन

विषय: दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, उत्तरी जिला के क्लेम मैनेजर श्री प्रमोद कुमार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने, रिश्वत के रूप में ली गई ₹50,000/- की धनराशि की वापसी तथा उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं मोहम्मद मिन्हाज, अध्यक्ष – हम राष्ट्रीय मजदूर संगठन, आपको अत्यंत गंभीर विषय से अवगत कराना चाहता हूँ। दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, उत्तरी जिला में कार्यरत क्लेम मैनेजर श्री प्रमोद कुमार द्वारा श्रमिकों के क्लेम प्रकरणों को पास करने के एवज में मुझसे अवैध धनराशि की मांग की गई।

श्री प्रमोद कुमार द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि यदि धनराशि नहीं दी गई तो श्रमिकों की क्लेम फाइलें पास नहीं की जाएंगी। श्रमिकों के हित में कार्य कराने हेतु विवश होकर मुझे भ्रष्टाचार के तौर पर उन्हें कुल ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) की धनराशि देनी पड़ी, जिसमें ₹45,000/- UPI के माध्यम से तथा ₹5,000/- नगद दिए गए।

दुर्भाग्यवश, इतनी बड़ी धनराशि दिए जाने के बावजूद आज तक श्रमिकों का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है और न ही उन्हें क्लेम की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, श्री प्रमोद कुमार द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उक्त धनराशि उच्च अधिकारियों में भी बांटी जाती है तथा यह धमकी दी जा रही है कि शिकायत करने पर मेरे माध्यम से लगाए गए सभी श्रमिकों के क्लेम कार्य रोक दिए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पहुंच ऊपर तक है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

अतः श्री प्रमोद कुमार द्वारा अग्रिम रूप से अवैध धनराशि लेना तथा बिना रिश्वत लिए किसी भी श्रमिक का कार्य न करना एक गंभीर भ्रष्ट आचरण है। इसके परिणामस्वरूप मैं उनके विरुद्ध यह शिकायत दर्ज करा रहा हूँ।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराई जाए, श्री प्रमोद कुमार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए तथा रिश्वत के रूप में ली गई ₹50,000/- की धनराशि मुझे वापस दिलाई जाए, जिससे बोर्ड में बढ़ते भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

धन्यवाद।

भवदीय,

Minhaj

(अध्यक्ष) हम राष्ट्रीय मजदूर संगठन

मोहम्मद मिन्हाज
MOHAMMAD MINHAJ
President
Hum Rashtriya Mazdoor Sangathan
Kh. No. 39/1, Street No. 5,
Sangam Vihar, Wazirabad, Delhi-84

Typed Copy

HUM RASHTRIYA
MAZDOOR SANGATHAN
Regd. No.: OI/DY/RTU/CD/2023
☎ 011-41487235, 8010380776

Ref. No.: ———
Date: **02/12/2025**

सेवा में,
श्रीमान तारकेश्वर सिंह जी अध्यक्ष एवं श्रीमान विकास शर्मा जी
महासचिव
दिल्ली भवन निर्माण मजदूर यूनियन एसोसिएशन
दिल्ली

विषय: दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली जिला के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने एवं कार्य न करने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं मोहम्मद मिनहाज, हम राष्ट्रीय मजदूर संगठन, आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। दिल्ली भवन निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली जिला में कार्यरत कुछ अधिकारी/कर्मचारी श्रमिकों के कार्य करने के एवज में ₹50,000/- की अवैध रिश्वत की मांग कर रहे हैं एवं बिना रिश्वत लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

महोदय,
यह अत्यंत गंभीर विषय है क्योंकि दिल्ली भवन निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली जिला में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी श्रमिकों के हित में कार्य करने के बजाय उनका शोषण कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो श्रमिकों का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में श्रमिकों के हित में कार्य कराने हेतु विकास कुमार एवं उनके सहयोगियों ने ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) की राशि दी, जिसमें ₹45,000/- UPI के माध्यम से भुगतान किया गया।

इसके बावजूद, अभी तक श्रमिकों का कोई भी कार्य नहीं किया गया है और न ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जानबूझकर श्रमिकों को परेशान कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर एवं निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराने की कृपा करें, ताकि भविष्य में श्रमिकों का शोषण न हो सके।

धन्यवाद।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

मोहम्मद मिनहाज
अध्यक्ष
हम राष्ट्रीय मजदूर संगठन

Kh. No. 39/1, Street No. 5,
संगम विहार, वज़ीराबाद, दिल्ली-84

📍 Kh. No. 39/1, Gali No. 5, Sangam Vihar, Wazirabad, Delhi–110084
📧 Mail Add: humrms@gmail.com

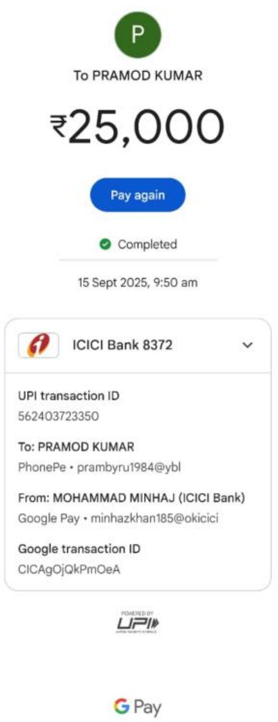

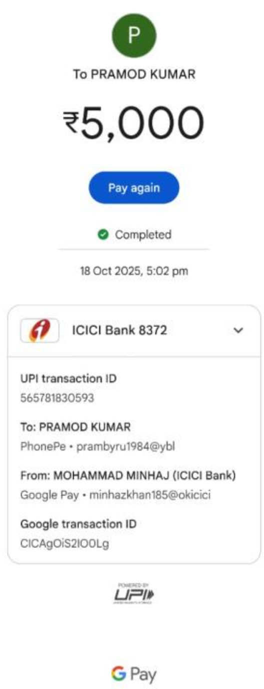

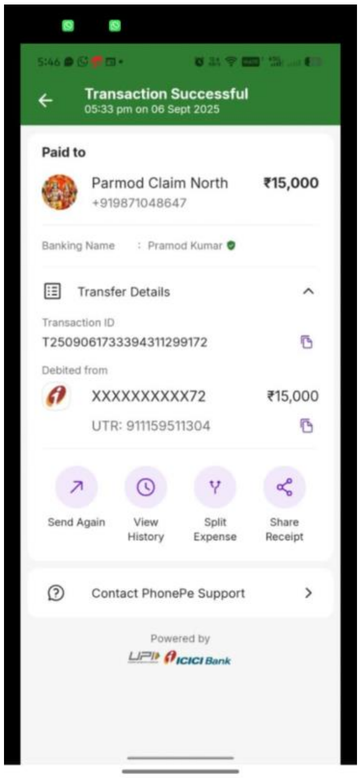

Regd. No. DRTU/ND/25//2017/LAB

दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर वेलफेयर एण्ड संरक्षक संगठन

(रजि० अन्डर इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926)

रजि० ऑफिस : म०नं० 9, खसरा नं० 177/294, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-ए-1, श्रिनिवासी एन्क्लेव, गांव बुराड़ी, दिल्ली-84

हैड ऑफिस : म०नं० 1119, ग्राऊण्ड फ्लोर, पाना माडान, हरिजन बस्ती, बवाना, दिल्ली-110039

मो० 9910754191, 9891568200, 8368483741

E-mail : dsbnmwass2017@gmail.com

क्रमांक DSBNMWASS (1)

दिनांक 10/12/2025

सेवा में

श्रीमान तारकेश्वर सिंह जी (अध्यक्ष) एवं श्रीमान विकास शर्मा जी (महासचिव)
सम्पूर्ण दिल्ली भवन निर्माण मजदूर यूनियन एसोसिएशन

विषय : दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, उत्तरी-पश्चिमी जिला के I.T. जतिन सैनी द्वारा यूनियन प्रतिनिधि से फोन पर धमका कर पैसे मांगने और अनैतिक व्यवहार के संदर्भ में!

महोदय

सविनय निवेदन यह है कि मैं जयप्रकाश (उपाध्यक्ष) दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर वेलफेयर एण्ड संरक्षक संगठन, मान्यवर आपको अत्यंत गंभीर विषय से अवगत कराना चाहता हूँ। कि उत्तर-पश्चिम जिला कार्यालय में I.T. जतिन सैनी जो आज कल क्लेम का काम देख रहे हैं। वो दिनांक 10/12/2025 को रात 8:45 P.M. पर मुझे फोन करके क्लेम सैक्संन होने कि पैसे कि डिमांड करते हैं। और उनका रवैया बिल्कुल अनैतिक और अभद्र था। मान्यवर मैं पहले भी उनको 20,000 रुपये दे चुका हूँ। जो उन्होंने 9654601601@ybl इस UPI ID पर करवाई। मान्यवर और उन क्लेम की RTGS आज तक भी नहीं हुई। और अब फिर से सैंक्शन आफिसर और A.O. साहब और बोर्ड सचिव का नाम लेकर काम बंद करने की धमकी देकर पैसे मांग रहे हैं। मान्यवर आपसे अनुरोध है। कि जतिन सैनी (I.T.) के ऊपर भ्रष्टाचार फैलाने और एक यूनियन प्रतिनिधि से अभद्र और अनैतिक भाषा में बात करने के लिए उनपर उचित कार्यवाही करवाई जाए।

धन्यवाद

उपाध्यक्ष

JaiParkash

Typed Copy

दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर वेलफेयर एंड संरक्षक संगठन

(रजि. अंडर इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926)
Regd. No. DRTU/ND/25/2017/LAB

हेड ऑफिस : गली नं. 9, मकान नं. 177/294, शास्त्री नगर, दिल्ली-84
कार्यालय : मकान नं. 1119, गली नं. 5, पंजाबी बस्ती, पहाड़गंज, दिल्ली-110039
मो.: 9910754191, 9891568200, 8368483741
E-mail : dsbnmwass2017@gmail.com

क्रमांक: DSBMNWASS/01
दिनांक: 10/12/2025

सेवा में,
श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय (श्रम एवं रोजगार)
उप राज्यपाल, दिल्ली
भवन सचिवालय, दिल्ली

विषय: दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, उत्तरी पश्चिमी जिला के I.T. एल. सी. सेल द्वारा श्रमिक प्रतिनिधि से फोन पर धमकाने एवं अभद्र व्यवहार के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन प्रस्तुत है कि हम मजदूर संगठन दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर वेलफेयर एंड संरक्षक संगठन, पहाड़गंज आपके अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर-पश्चिम जिला में I.T. एल. सी. सेल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा श्रमिकों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10/12/2025 को शाम 8:45 PM पर मुझे फोन करके सेल में उपस्थित होने के लिए कहा गया और उनका रवैया बिल्कुल असभ्य और अपमानजनक था। इससे पहले भी उन्होंने ₹20,000 रुपये की मांग की थी, जो हमने 05/12/2025 को UPI ID पर करवाई थी, परंतु आज तक कार्य नहीं हुआ है और उसके बावजूद लगातार धमकियां दी जा रही हैं।

और A.O. साहब द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो आपका कोई भी काम नहीं किया जाएगा। यह व्यवहार पूर्णतः गैरकानूनी है और इससे श्रमिक प्रतिनिधि तथा श्रमिकों का शोषण हो रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित एवं निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
जय प्रकाश
उपाध्यक्ष
दिल्ली स्टेट भवन निर्माण मजदूर वेलफेयर एंड संरक्षक संगठन